



Neutral Citation No. - 2026:AHC:33045

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत निरस्तीकरण आवेदन सं. - 39 सन् 2026

ऋषभ गुप्ता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विष्णु प्रकाश

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी ने अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं.- 2 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रकाश, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री अनिल कुशवाहा और अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी की दलीलें सुनीं और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह जमानत रद्द करने का आवेदन वर्तमान आवेदक की ओर से अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं.- 2 को भा.दं.सं. की धारा 302 और 506 के तहत आगरा जिले के जगदीशपुरा थानान्तर्गत दर्ज मुकदमा अपराध सं. 415 सन् 2022 में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इससे पहले इस न्यायालय ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 53713 सन् 2023 मामले में दिनांक 22.05.2025 को पारित आदेश के माध्यम से अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं. 2 को जमानत दी थी। जमानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी-प्रतिपक्षी सं.- 2 लगातार सूचनादाता और अन्य गवाहों को धमकी दे रहा है, इसलिए आरोपी-प्रतिपक्षीगण की जमानत रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
5. आरोपी-प्रतिपक्षी सं.- 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, वर्तमान आवेदक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी सं. 42161 सन् 2025 दायर की थी, जिसमें माननीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश द्वारा उक्त अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए अपने आदेश के पैरा-4 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"4. हालांकि, यह कहना पर्याप्त है कि यदि प्रत्यर्थी सं. 2 जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या जमानत की अवधि के दौरान धमकी देता है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो शिकायतकर्ता या राज्य जमानत रद्द करने का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

6. प्रतिपक्षी सं.- 2 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उपर्युक्त अनुमति याचिका पर निर्णय होने के बाद आरोपी-प्रतिपक्षी सं.- 2 ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया हो, धमकाया हो या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा हो। इसलिए, यह जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

7. मैंने उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

8. जब इस न्यायालय ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न पूछा कि क्या विशेष अनुमति याचिका में उपरोक्त निर्णय एवं आदेश पारित होने के बाद अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं.- 2 ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहा या धमकाने का कार्य किया है, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहे। अतः, इस न्यायालय को इस जमानत रद्द करने के आवेदन को स्वीकार करने का कोई उचित और पर्याप्त आधार नहीं मिलता है। वर्तमान जमानत निरस्तीकरण आवेदन मेरिट रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

13 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।